



क
कॉन्डगांव

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

Tel. / Fax: 07786-242303

E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./228।

कोंडागांव, दिनांक : 10/04/2023

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,

लोक निर्माण विभाग कोंडागांव

संभाग, जिला कोंडागांव (छ.ग.)

विषय:— *Diversion of Forest land non-Forest Purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Construction Of Bypass Road at Kondagaon Area 9.304 ha. regarding.*
— आनलाईन पंजीयन क्रमांक—FP/CG/ROAD/29577/2017.

संदर्भ:—अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध) अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक नया रायपुर का पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-I/115-738/287, दिनांक 08/02/2023 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि. 872, दिनांक 10/02/2023 एवं पृ.क्रमांक/397, दिनांक 21/02/2023 एवं आपका पत्र क्रमांक/914/कार्य, दिनांक 20/02/2023 व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./1459, दिनांक 01/03/2023 आपका पृ. क्रमांक/1191, दिनांक 06/03/2023 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./1950, दिनांक 20/03/2023

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। प्रकरण में जिला कोंडागांव के दक्षिण कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 794, 795, 777 एवं आर.एफ. 793 में से 9.304 हेक्टेयर वन भूमि पर "कोंडागांव बाईपास रोड" निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन-मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल छ.ग. का पत्र क्रमांक/ File No. FC-II/IROCH-15/2023/1226, दिनांक 30/01/2023 द्वारा अधिरोपित शर्तों के साथ जारी प्रथम चरण स्वीकृति जारी किया गया है। आवेदक विभाग से मांग की जाने वाले राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1. अधिरोपित शर्त क्रमांक-02 अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राशि 16352468/- रुपये समय पर जमा नहीं करने के कारण अ.प.मु.व.सं. (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर पत्र क्रमांक/807, दिनांक 31/03/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जारी नवीन दर रुपये 9,66,666/- के रकबा 9.304 हेक्टेयर के दुगुने राजस्व वन भूमि प्रति हेक्टेयर के आधार पर राशि 9,66,666 x 18.608 हेक्टेयर = 17987721/- रुपये एवं शर्त क्रमांक-04 के अनुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि 1,33,66,777/- कुल राशि रुपये 3,13,54,498/- (रुपये तीन करोड़ तेरह लाख चौवन हजार

क्रमशः 2.....

चार सौ अन्तानब्बे) मात्र को भारत सरकार के वेब साईट पर ई-चालान के माध्यम से की कैम्पा खाता में भुगतान आनलाईन कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर के कार्यालय से ऑनलाईन अनुमोदन प्राप्त कर कैम्पा खाता में जमा करें, जिसकी सत्यापित पावती की मूल प्रति शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तों के बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन के साथ पृथक-पृथक 06-06 प्रतियों में प्रेषित करें।

2. संदर्भित पत्र पत्र क्रमांक-2 द्वारा चाही गई वृक्ष विदोहन हेतु (वृक्ष कटाई/निकासी मार्ग/सुरक्षा व्यय एवं सामग्री व्यय को शामिल करते हुए कुल राशि 7,35,313/- रुपये आवश्यकता होगी। जों प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के पश्चात् वृक्ष विदोहन की अनुमति प्राप्त उपरांत राशि जमा करना होगा। सीमांकन हेतु पिल्लर 64 नग निर्माण हेतु प्रति पिल्लर्स 384/- रुपये की मान से राशि 24,576/- रुपये कुल 7,59,889/- रुपये होगा।

2.1 बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार प्रत्याशा मूल्य/वृक्षारोपण की राशि रुपये 3,13,54,498/- (रुपयें तीन करोड़ तेरह लाख चौवन हजार चार सौ अन्तानब्बे) मात्र को भारत सरकार के वेब साईट पर ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा कर मूलप्रति की सत्यापित पावति के साथ शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तों के बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन के साथ पृथक-पृथक 06-06 प्रतियों में जमा करें।

2.2 बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार वृक्ष विदोहन/सीमांकन हेतु राशि रुपये 7,59,889/- मात्र को वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कौंडागांव वनमंडल, कौंडागांव के नाम से डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर वृक्ष विदोहन की अनुमति प्राप्त उपरांत इस कार्यालय में जमा करना होगा, जिसे पी.डी. खाता में जमा किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं में दर्शाये अनुरूप राशि शीघ्र जमा करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही किया जा सकें।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कौंडागांव वनमंडल
कौंडागांव

कौंडागांव, दिनांक 10/04/2023

पृ.क्रमांक/मा.चि./2282

प्रतिलिपि :

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) अरण्य भवन सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नया रायपुर की ओर इस कार्यालय के पृ.क्रमांक/मा.चि./1951, दिनांक 20/03/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

क्रमशः 3....

//3//

02. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर की ओर इस कार्यालय के पृ.क्रमांक/मा.चि./1951, दिनांक 20/03/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
03. कलेक्टर, कौंडागांव, जिला-कौंडागांव (छ.ग.) की ओर इस कार्यालय के पृ.क्रमांक/मा.चि./1951, दिनांक 20/03/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
04. उपवनमंडलाधिकारी, पूर्व कौंडागांव उपवनमंडल, कौंडागांव को ओर उनके पृ.क्रमांक/1951, दिनांक 20/03/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
05. वन परिक्षेत्र अधिकारी, दहीकौंगा परिक्षेत्र को ओर उनके पृ.क्रमांक/1951, दिनांक 20/03/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कौंडागांव वनमंडल
कौंडागांव



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर/ रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-25/ 807

रायपुर, दिनांक 31/03/2023

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषय: - क्षतिपूर्ति रोपण हेतु दरों का वर्ष 2023-24 में पुनरीक्षण बाबत ।
संदर्भ: 1. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/1626/2002 दिनांक 19.03.2002
2. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 7-8/2012/10-2 दिनांक 25.09.2012
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/ कैम्पा/एल.एम-25/ 814 दिनांक 07.04.2022

※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 की असिंचित दर रु. 2,74,973/- एवं सिंचित रु. 8,78,787/- में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए असिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये रुपये 3,02,470/- प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये रुपये 9,66,666 /- प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित की जाती है।

1. तदनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने एवं पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रुपये 9,66,666/- प्रति हेक्टेयर एवं असिंचित वृक्षारोपण हेतु 3,02,470/- की दर से प्रस्ताव तैयार करना एवं राशि वसूल किया जाना सुनिश्चित करें। रोपण हेतु स्थानीय प्रजातियों एवं आस्था मूलक कार्यों का प्रावधान परियोजना में किया जावे।

2. असिंचित दर केवल उन्हीं पुराने प्रकरणों हेतु है जिनमें पूर्व में प्रस्ताव असिंचित दर से तैयार हुए हैं तथा प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर भारत सरकार को जा चुके हैं।

शेष निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्र०/भू-प्रबंध/विविध/ 115-25/ 808
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 31/03/2023

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर।
3. समस्त शाखा प्रभारी, भू-प्रबंध प्रभाग को पालनार्थ।

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

(Handwritten signature)

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल
614 कोण्डागांव